डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस

विनोद बनाम राजवीर वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 99/2016
जी.सी.एम.एस. न. 2016/00124

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दद्व व .... डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी संवत 2060 के हाल खसरा नम्बर 82 रकवा 0.30 , 166 रकवा 0.22 , 377 रकवा 0.28 ,वाके ग्राम कोठेन कलॉ तहसील नदबई पर 1/2 निष्फ हिस्से पर वादीगण को बा हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा 1/2 निष्फ हिस्से पर प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 4 को बा हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादीगण के वर्तमान खातेदारी इन्द्राजो कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———————फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत————
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					
			मीजान		

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

1. विनोद कुमार पिसरान करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
2. करतार पिसरान करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
3. शिवदयाल पिसरान करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

– वादीगण

<u>बनाम</u>

1. राजवीर पिसरान गोरधन जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
2. रामा उर्फ रामवीर पिसरान गोरधन जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
3. श्याम पिसरान गोरधन जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
4. प्रेम पिसरान गोरधन जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
5. राज. सरकार जरिये तहसीलादार नदबई
6. श्रीमान सब रजिस्टार नदबई
7. पी.एन.बी. लखनपुर जरिये प्रबंधक

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर आर.ए.एस

प्रकरण सं. 99/2016
जी.सी.एस.एम. नं. 2016/00124
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 06.08.2021

1. विनोद कुमार पिसरान करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
2. करतार पिसरान करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
3. शिवदयाल पिसरान करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

– वादीगण

बनाम

1. राजवीर पिसरान गोरधन जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
2. रामा उर्फ रामवीर पिसरान गोरधन जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
3. श्याम पिसरान गोरधन जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
4. प्रेम पिसरान गोरधन जाति जाट निवासी कोठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
5. राज. सरकार जरिये तहसीलादार नदबई
6. श्रीमान सब रजिस्टार नदबई
7. पी.एन.बी. लखनपुर जरिये प्रबंधक

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री फूलसिंह सिनसिनवार (वादीगण की और से)

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 88.89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवीन वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है।

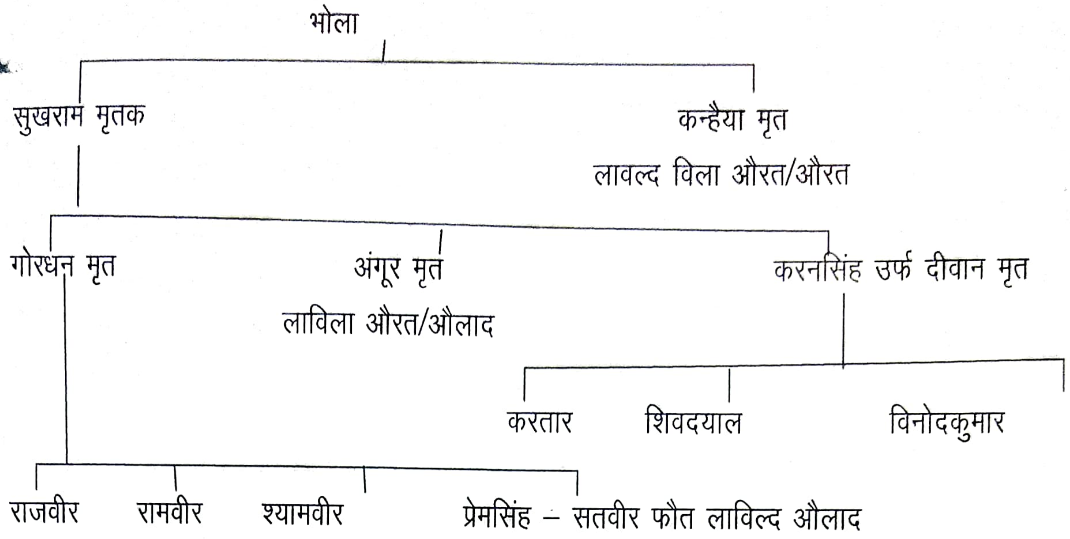

इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण , एक ही पूर्वज (बाबा) सुकराम की औलाद है तथा बाबा सुकराम व कन्हैया दोनो भाई भाई थे कन्हैया का देहान्त लाबिला औलाद /औरत हो चुका था जोकि वादीगण व प्रतिवादीगण पिताओ के साथ ही रहते थे प्रतिवादीगण के भाई सतवीर का भी देहान्त बिला औलाद/औरत हो चुका है। उनके भाई ही उसके बारिस है।

2. यह कि आराजी वाके ग्राम कोठेन कलाँ खसरा नम्बर हाल बन्दोबस्ती का ब्यौरा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

हाल ख0 नं. सवंत 2060	गत ख0 नं. 2028	गत ख0 न0 संवत 1910
1. 82/0.30 हैक्टेयर	62/1 बी. 4 विस्वा	29 मिन/1 बी. 17 वि.
2. 166/0.22 हैक्टेयर	110/17 विस्वा	62 मिन/1बी.7 वि.
3. 377/0.28 हैक्टेयर	274/1 बी. 2 वि.	198मिन/1बी. 15 वि.

3. यह कि उपरोक्त आराजी वाके ग्राम कोठेन कलाँ के साबिक खसरा न. सम्बत 2012 से पूर्वज वादीगण व प्रतिवादीगण के बाबा के भाई कन्हैया या यह कहा जावे कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिताओ के ताऊ कन्हैया को तत्कालीन जमीदारान द्वारा काश्त पर प्रदान की गई थी जिस पर उक्त कन्हैया काबिज होकर काश्त करते थे। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के पिताओ का सम्मिलित परिवार था उन्ही के साथ बाबा कन्हैया रहते थे। तथा कन्हैया(बाबा) को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। जिसका उक्त आराजी में जमाबंदी सम्वत 2013–2016 बखूबी दर्ज रहा लेकिन बाबा कन्हैया के देहान्त सम्वत 2016 के आसपास उपरान्त प्रतिवादीगण के पिता , वादीगण के पिता से बड़ा होने के कारण उक्त आराजी पर अकेले ने

काश्त दर्ज कराकर मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2017 से बतौर खातेदार के इन्द्राजात कायम करा लिए जबकि तत्कालीन जमीदारो ने प्रतिवादीगण के पिता को उक्त भूमि काश्त पर कभी नही दी जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता सम्मिलित रू॰ से उक्त आराजी पर बाबा कन्हैया के मृत्यु उपरान्त भी काबिज काश्त करते चले आ रहे है। तथा उनके देहान्त उपरान्त भी वादीगण व प्रतिवादीगण के मुताबिक हिस्सा 1/2, 1/2 के अनुसार काबिज होकर काश्त करते हुए चले आ रहे है। लिहाजा उक्त आराजी वर्णित मद सं. 2 वाद पत्र वाके ग्राम कोठेन कलॉ पर वादीगण हिस्सा निस्फ वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार करा पाने के अधिकारी है। तथा शेष हिस्सा निस्फ प्रतिवादीगण बाहिस्सा बराबर बदस्तूर कायम रहे था वर्तमान इन्द्राजात वाहक प्रतिवादीगण कलमजन के है।

4. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज मुताबिक हिस्सा निस्फ निस्फ को काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राजातों के आधार पर उन्होने वादीगण को दिनांक 22.06.2015 को धमकी दी है कि वे वादीगण को बेदखल कर के व आराजी को दीगर व्यक्तियो को विक्रय करके रहेंगे। अगर प्रतिवादीगण अपनी दी गई उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी । यही बजह वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करा पाने के अधिकारी है कि वादीगण को उक्त आराजी वाके ग्राम कोठेन कलॉ के निस्फ हिस्से से बेदखल नही करे व रहन व मुन्तकिल नही करे रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।
5. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार आराजी वर्णित मद सं. 2 वादपत्र पृथक पृथक कुर्रे निर्धारित करा कर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी है।
6. यह कि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा यौम देने धमकी दिनांक 22.06.2015 से पैदा होकर वाद दायर करने का हक हासिल हुआ है।
7. यह कि विवादित आराजी व पक्षकारान मुकदमा अदालत श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने व निवास करने से अदालत श्रीमान को वादपत्र श्रवण का अधिकार हासिल है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण निम्नप्रकार डिक्री फरमाया जावे।

अ. यह कि आराजी वर्णित मद सं. 2 वादपत्र वाके ग्राम कोठेनकलॉ वादीगण को प्रतिवादीगण के बाबा कन्हैया कि कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण उनके देहान्त उपरान्त प्रतिवादीगण के पिता गोरधन के अकेले के नाम काश्त व खातेदारी के इन्द्राजात व मुकाबले वादीगण के पिता वातिल व बेअसर है लिहाजा वादीगण को हिस्सा निस्फ निस्फ वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष हिस्सा निस्फ वाहिस्सा बराबर के इन्द्राजात प्रतिवादीगण सं. 1 ल0 4 बदस्तूर कायम रहे वर्तमान इन्द्राजात वाहक प्रतिवादीगण कलमजन किया जावे

ब. यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे किवे वादीगण के हिस्से मे किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करे।

स. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतनाजा के हिस्से अनुसार पृथक पृथक कुर्रेजात किये जाकर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावे।

दावागण का वाद पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। ...गणो को जरिये सम्मन तलव न होने पर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी से तलव किये गये परन्तु ...जूद तामील न्यायालय हाजा अनुपस्थित रहे तथा न्यायायल द्वारा इनके खिलाफ 27.11.2017 एक तरफा कार्यवाही ...ल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत कि गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा ...ोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम कोठेन कलॉ प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2017 वाके ग्राम कोठेन कलॉ प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2013–16 वाके ग्राम कोठेन कलॉ नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम वाके ग्राम कोठेन कलॉ प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2060 वाके ग्राम कोठेन कलॉ प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत 2028 भू प्रबंधक विभाग प्रदर्श 5 , नकल जमाबंदी सम्वत 2060 वाके ग्राम कोठेन कलॉ प्रदर्श 6 नकल मिलान क्षेत्रफल नकल मिलान क्षेत्रफल 2060 प्रदर्श 7 नकल मिलान क्षेत्रफल 2028 वाके ग्राम कोठेन कलॉ प्रदर्श 8 पेश किये गये। एवं साक्ष्य के रू॰ में विनोद कुमार पुत्र करनसिंह उर्फ दीवान जाति जाट वासी कोठेन कलॉ तहसील नदबई एवं राजेन्द्र पुत्र रामकिशोर जाति जाट ग्राम कोठेन कलॉ तहसील नदबई जिला भरतपुर पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये। तथा साक्ष्स प्रतिवादी बंद कि जाकर बहस अन्तिम में पत्रावली नियत की गई।

हमने वादीगण के विद्वान वकील की एक तरफा सुनी बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 वाके ग्राम कोठेन कलॉ पर राजवीर रामा , श्याम, प्रेम व सतवीर पिसरान गोरधन हिस्सा बराबर कौम जाट साकिन कोठेन कलॉ पर प्रतिवादीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा नकल जमाबंदी सम्वत 2013–16 में विवादित आराजी पर कन्हैया की खातेदारी का अंकन हो रहा हैं तथा नकल जमाबंदी सम्वत 2017 से 2020 में गोरधन बल्द सुकराम कौम जाट साकिन कोठेन खुर्द पर खातेदारी का अंकन हो रहा है। यानि की उक्त विवादित आरीजी पर सम्वत 2012 से पूर्व वादीगण प्रतिवादीगण के बाबा कन्हैया की खातेदारी अंकित हो रही है। तथा सम्वत 2013–16 में वादीगण प्रतिवादीगण के बाबा कन्हैया की खातेदारी में दर्ज रही । नकल जमाबंदी 2017 में प्रतिवादीगण के पिता गोरधन बल्द सुकराम के नाम खातेदारी इन्द्राज हो गई थी। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण के बाबा कन्हैया की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के पिता गोरधन के अकेले के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। तथा नकल जमाबंदी सम्वत 2028 में प्रतिवादीगण के पिता गोरधन बल्द सुकन के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। तथा नकल जमाबंदी सम्वत 2060 में भी राजवीर रामा, श्याम प्रेम व सतवीर पिसरान गोरधन बाहिस्सा बराबर , कौम जाट साकिन कोठेन खुर्द खातेदार के रू॰ में दर्ज हो रही है। तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 व 2060 वाके ग्राम कोठेन कलॉ पर हाल एवं गत खसरा नम्बरानो का मिलान हो रहा हैं इस प्रकार जमाबंदी सम्वत 2017 से बतौर खातेदारी इन्द्राजात प्रतिवादीगण के पिता गोरधन के नाम चली आ रही है। तथा गोरधन की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1 लं0 4 के नाम दर्ज चली आ रही हैं जो कि गलत इन्द्राजात होने के कारण काबिल दुरूस्ती है। जबकि उक्त विवादित आराजीयात में वादीगण के पिता करन सिंह उर्फ दीवान जोकि प्रतिवादी गण के मृतक पिता गोरधन व मृतक अंगूर ला बिला औरत का भाई था। इसप्रकार गोरधन के साथ वादीगण के पिता करन उर्फ दीवान वाहिस्सा बराबर का खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा इसकी पुष्ठि हेतु साक्ष्य भी पेश किये गये। जो वादीपत्र की

रता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र काबिल दुरूस्ती के है। अतः का वादपत्र डिक्री किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी संवत 2060 के हाल खसरा नम्बर 82 रकवा 0.30 , 166 रकवा 0. 377 रकवा 0.28 ,वाके ग्राम कोठेन कलॉ तहसील नदबई पर 1/2 निष्फ हिस्से पर वादीगण को बा हिस्सा र के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा 1/2 निष्फ हिस्से पर प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 4 को बा सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादीगण के वर्तमान खातेदारी इन्द्राजो कलमजन या जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली सलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

06/08/21

(हेमराज गुर्जर)
सहायक कलक्टर नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

नदबई (भरतपुर) राज.